13-4-16	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश पर है/अवकाश पर है/अन्य~~ कार्यों में ~~व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4-5-16 को पेश हो। रीडर
4-5-16	वकील उभयपक्ष उप० है। विभाजन स्कीम मंगवाई जाकर पत्रावली दि० 9-5-16 को पेश हो।
9-5-16	वादी व उनके वकील उपस्थित। विपक्षी ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने के लिए सहमत है। अतः प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 10-5-16 को लोक अदालत कैम्प नारायणपुर के समक्ष उपस्थित रहें। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
10-5-2016	पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प नारायणपुर पर पेश हुई। वादीगण गिर्राज, रतन व नवल उपस्थित है। वादीगण ने प्रा०पत्र व राजीनामा पेश कर बताया है कि प्रारम्भिक त्रुटि होने के कारण वादीगण अपना दावा वापस लेने व नवीन दावा पेश करने की अनुमति चाहते है। वादीगण को सुनने के पश्चात् वादीगण का प्रा० पत्र व राजीनामा स्वीकार कर वादीगण को प्रस्तुत वाद वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
57/2015	18.06.2015	06.01.2016

1. गिर्राज पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. रतन पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. नवल पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मिश्रया पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. सुरज्या पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. रामधन पुत्र टुण्डा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
4. बद्री पुत्र टुण्डा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
5. रामस्वरूप पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
6. बाबूलाल पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
7. रक्खी बेवा श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
8. राजस्थान सरकार जरिए लैण्डहोल्डर तहसीलदार गंगापुरसिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री इन्दरलाल गुप्ता, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1, 2, 6 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी में स्थित भूमि ख0नं0 15 रकबा 0.29 हैक्टर, 16 रकबा 0.32 हैक्टर, 17 रकबा 0.30 हैक्टर, 18 रकबा 0.27 हैक्टर, 19 रकबा 0.25 हैक्टर 21 रकबा 0.20 हैक्टर, 24 रकबा 0.05 हैक्टर, 25 रकबा 0.16 हैक्टर, 26 रकबा 0.13 हैक्टर, 69 रकबा 0.21 हैक्टर, 324 रकबा 0.12 हैक्टर, 325 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 2.48 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। इसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2 मिसरय, सुरज्या, वादीगण गिर्राज, रतन, नवल का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 4 रामधन, बद्री का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 रामस्वरूप, बाबूलाल, रक्खी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 झगडालू पृवृति के व्यक्ति हैं। वादीगण की भूमि का रकबा जबर्दस्ती दबाकर काश्त कर लेते हैं इसलिए भूमि का विभाजन किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 9.6.2015 को वादीगण को धमकी दी है कि वे लोग वादीगण की भूमि को दबाकर काश्त करेंगे एवं वादीगण को भूमि से लाभान्वित नहीं होने देंगे । अतः दावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम टटवाडा में स्थित भूमि ख0नं0 15 रकबा 0.29 हैक्टर, 16 रकबा 0.32 हैक्टर, 17 रकबा 0.30 हैक्टर, 18 रकबा 0.27 हैक्टर, 19 रकबा 0.25 हैक्टर 21 रकबा 0.20 हैक्टर, 24 रकबा 0.05 हैक्टर, 25 रकबा 0.16 हैक्टर, 26 रकबा 0.13 हैक्टर, 69 रकबा 0.21 हैक्टर, 324 रकबा 0.12 हैक्टर, 325 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा

के मध्य भूमि का बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खाते कायम किए जावे, ट्रेस में पृथक पृथक तरमीन की जावे । मौके पर नपती कराकर हिस्सा अनुसार काश्त रकबा रखकर बंटवारा कराया जावे व सीमाबंदी, पत्थरगढी मौके पर करवाई जावे व उसकी ट्रेस में तरमीम करवाई जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि के वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करें न किसी अन्य से करावें व भूमि को रहन वय नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 7 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1, 2, 6 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वास्तविकता इस प्रकार है कि टुण्डा के पांच पुत्र सुखजी, पांच्या, श्रीया, बदरी व रामधन हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 पांच्या के पुत्र हैं। प्रतिवादी सं0 3, 4 टुण्डा के पुत्र हैं। प्रतिवादी सं0 5, 6 टुण्ड के पुत्र श्रीया के पुत्र हैं। प्रतिवादी सं0 7 श्रीया की बेवा है। टुण्डा के पुत्र सुखजी एवं बदरी लाऔलाद फौत हो चुके हैं। उन्होने अपने जीवनकाल में किसी के हक में कोई वसीयत, दान या गोद नहीं किया है। दोनों का इन्तकाल निर्वसीयत रूप में हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1, 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण द्वारा 1/4 हिस्सा गलत दर्ज किया है। मौके पर भूमि संयुक्त रूप से चली आ रही है परन्तु फसल़ काश्त के लिए भूमि को पृथक पृथक रूप से बंटवारा कर रखा है लेकिन बदरी की मृत्यु हो चुकी है। समस्त भूमि पर वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1, 2, प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 5 लगायत 7 अपने हिस्से अनुसार हिस्सा बराबर 1/3, 1/3 काबिज चले आ रहे हैं। उसी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से पृथक पृथक विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण की स्वयं की नियत खराब है और वे अच्छे किस्म की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किए जाने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 पेश की हैं।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

जबाब दावा प्रस्तुत करने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1, 2, 6 के अभिभाषक इस बात पर सहमत हुए हैं कि राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से भूमि का विभाजन कर दिया जावे ।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त भूमि मिसरया, सुरज्या, गिर्राज, रतन, नवल पि0 पांच्या 1/4, रामधन, बद्री पि0 टुण्डा 1/2, रामस्वरूप, बाबूलाल पि0 श्रीया, मु0 रतनी बेवा श्रीया 1/4 गूजर सा0देह की खातेदारी में दर्ज है। पक्षकार इसी दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी हैं एवं पक्षकारों के अभिभाषकगण ने दर्ज हिस्से अनुसार भूमि

ला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

का विभाजन करने पर अपनी सहमति भी दी है। फलस्वरूप वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 15 रकबा 0.29 हैक्टर, 16 रकबा 0.32 हैक्टर, 17 रकबा 0.30 हैक्टर, 18 रकबा 0.27 हैक्टर, 19 रकबा 0.25 हैंक्टर, 21 रकबा 0.20 हैक्टर, 24 रकबा 0.05 हैक्टर, 25 रकबा 0.16 हैक्टर, 26 रकबा 0.13 हैक्टर, 69 रकबा 0.21 हैक्टर, 324 रकबा 0.12 हैक्टर, 325 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 2.48 हैक्टर ग्राम टटवाडा के मौके पर जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कर विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर दो प्रतियो में इस न्यायालय को भिजवाने हेतु नायब तहसीलदार तलावडा को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। नायब तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आदेशानुसार विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर इस न्यायालय को दो प्रतियो में भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)
सत्यमेव जयते

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

बअदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

1. गिर्राज पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. लल्लू पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. मदन पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मिठ्या पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. कुल्या पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. रामधन पुत्र टुन्डा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
4. बद्री पुत्र टुन्डा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
5. रामस्वरूप पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
6. बाबूलाल पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
7. लक्ष्मी बेवा श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
8. राजस्थान सरकार जरिए लैण्डहोल्डर तहसीलदार गंगापुरसिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 57/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्दरलाल गुप्ता, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 15 रकबा 0.29 हैक्टर, 16 रकबा 0.32 हैक्टर, 17 रकबा 0.30 हैक्टर, 18 रकबा 0.27 हैक्टर, 19 रकबा 0.25 हैक्टर, 21 रकबा 0.20 हैक्टर, 24 रकबा 0.05 हैक्टर, 25 रकबा 0.16 हैक्टर, 26 रकबा 0.13 हैक्टर, 69 रकबा 0.21 हैक्टर, 324 रकबा 0.12 हैक्टर, 325 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 2.48 हैक्टर ग्राम टटवाडा के मौके पर जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कर विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर दो प्रतियो में इस न्यायालय को भिजवाने हेतु नायब तहसीलदार तलावडा को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। नायब तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आदेशानुसार विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर इस न्यायालय को दो प्रतियो में भिजवावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.01.2016 को जारी किया गया।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

[illegible]

एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
51 / 2015	18.06.2015	12.03.2016

1. गिर्राज पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. रतन पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. नवल पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी ---वादीगण

बनाम

1. मिसरय पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. सुरज्या पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. रामधन पुत्र टुन्डा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
4. बद्री पुत्र टुन्डा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
5. रामस्वरूप पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
6. बाबूलाल पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
7. रक्खी बेवा श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
8. राजस्थान सरकार जरिए लैण्डहोल्डर तहसीलदार गंगापुरसिटी ---प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री इन्दरलाल गुप्ता, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री बृजनन्दन दीक्षित एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1, 2, 6 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी में स्थित भूमि ख0नं0 15 रकबा 0.29 हैक्टर, 16 रकबा 0.32 हैक्टर, 17 रकबा 0.30 हैक्टर, 18 रकबा 0.27 हैक्टर, 19 रकबा 0.25 हैक्टर 21 रकबा 0.20 हैक्टर, 24 रकबा 0.05 हैक्टर, 25 रकबा 0.16 हैक्टर, 26 रकबा 0.13 हैक्टर, 69 रकबा 0.21 हैक्टर, 324 रकबा 0.12 हैक्टर, 325 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 2.48 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। इसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2 मिसरय, सुरज्या, वादीगण गिर्राज, रतन, नवल का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 4 रामधन, बद्री का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 रामस्वरूप, बाबूलाल, रक्खी का 1/4 हिस्सा दर्ज है! वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं ! यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 झगडालू पृवृति के व्यक्ति हैं। वादीगण की भूमि का रकबा जबर्दस्ती दबाकर काश्त कर लेते हैं इसलिए भूमि का विभाजन किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 9.6.2015 को वादीगण को धमकी दी है कि वे लोग वादीगण की भूमि को दबाकर काश्त करेंगे एवं वादीगण को भूमि से लाभान्वित नहीं होने देंगे । अतः दावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम टटवाडा में स्थित भूमि ख0नं0 15 रकबा 0.29 हैक्टर, 16 रकबा 0.32 हैक्टर, 17 रकबा 0.30 हैक्टर, 18 रकबा 0.27 हैक्टर, 19 रकबा 0.25 हैक्टर 21 रकबा 0.20 हैक्टर, 24 रकबा 0.05 हैक्टर, 25 रकबा 0.16 हैक्टर, 26 रकबा 0.13 हैक्टर, 69 रकबा 0.21 हैक्टर, 324 रकबा 0.12 हैक्टर, 325 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा

उक्त डिस्ट्रिक्ट की राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा अनुसार
के साथ भूमि का बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खाते कायम किए जावें, ट्रेस
में पृथक पृथक तरमीम की जावे । मौके पर नपती कराकर हिस्सा अनुसार
आकार रकबा रखकर बंटवारा कराया जावे व सीमाबंदी, पत्थरगढी मौके पर
करवाई जावे व उसकी ट्रेस में तरमीम करवाई जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई
निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि के वादीगण के कब्जे
काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करें न किसी
अन्य से करावें व भूमि को रहन बय नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।
प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 7 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध
एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1, 2, 6 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि
वास्तविकता इस प्रकार है कि टुण्डा के पांच पुत्र सुखजी, पांच्या, श्रीया, बदरी व
रामचन्द्र हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 पांच्या के पुत्र हैं। प्रतिवादी सं0 3,
4 टुण्डा के पुत्र हैं। प्रतिवादी सं0 5, 6 टुण्ड के पुत्र श्रीया के पुत्र हैं। प्रतिवादी
सं0 7 श्रीया की बेवा है। टुण्डा के पुत्र सुखजी एवं बदरी लाऔलाद फौत हो
चुके हैं। उन्होने अपने जीवनकाल में किसी के हक में कोई वसीयत, दान या
गोद नहीं किया है। दोनों का इन्तकाल निर्वसीयत रूप में हुआ है। इस प्रकार
उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1, 2 का 1/3 हिस्सा,
प्रतिवादी नं0 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 का 1/3 हिस्सा
है। वादीगण द्वारा 1/4 हिस्सा गलत दर्ज किया है। मौके पर भूमि संयुक्त रूप
से चली आ रही है परन्तु फसल काश्त के लिए भूमि को पृथक पृथक रूप से
बंटवारा कर रखा है लेकिन बदरी की मृत्यु हो चुकी है। समस्त भूमि पर वादीगण
तथा प्रतिवादी सं0 1, 2, प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 5 लगायत 7 अपने
हिस्से अनुसार हिस्सा बराबर 1/3, 1/3 काबिज चले आ रहे हैं। उसी अनुसार
मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से पृथक पृथक विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण
की स्वयं की नियत खराब है और वे अच्छे किस्म की भूमि पर कब्जा करना
चाहते हैं। मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किए जाने में प्रतिवादीगण को कोई
एतराज नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2068 स 2071 पेश की
है।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

जबाब दावा प्रस्तुत करने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1, 2, 6 के
अभिभाषक इस बात पर सहमत हुए हैं कि राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से
अनुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से भूमि का विभाजन कर दिया
जावे ।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 6.1.2016 द्वारा वादीगण का वाद प्राथमिक
डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।
नायब तहसीलदार तलावडा ने अपने पत्रांक एल0आर0/16/57 दिनांक 18.2.16
से अवगत कराया है कि प्रकरण में प्रतिवादी नं0 4 बद्री पुत्र टुण्डा हि0 1/4
लाऔलाद फौत हो चुका है। नायब तहसीलदार तलावडा ने मृतक बद्री पुत्र टुण्डा
के 1/4 हिस्से की विभाजन स्कीम तैयार करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा है।

10

इस बिन्दु पर लोक अदालत में उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्षकारों ने बताया कि मृतक बद्री पुत्र टुण्डा लाऔलाद फौत हुआ है इसलिए उसके हिस्से की भूमि का एक हिस्सा गिर्राज, रतन, नवल, मिश्रया, सुरज्या पुत्रगण पांच्या, एक हिस्सा रामधन पुत्र टुण्डा, एक हिस्सा रामस्वरूप, बाबूलाल पुत्रगण श्रीया व नकडी बेवा श्रीया के नाम जावेगा । इस प्रकार इस भूमि में वादी नं0 1, 2, 3, प्रतिवादी नं0 1, 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 5, 6, 7 का 1/3 हिस्सा रहेगा। पक्षकारों के अभिभाषकगण इसी अनुसार भूमि का विभाजन कराने पर सहमत हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 15 रकबा 0.29 हैक्टर, 16 रकबा 0.32 हैक्टर, 17 रकबा 0.30 हैक्टर, 18 रकबा 0.27 हैक्टर, 19 रकबा 0.25 हैक्टर, 21 रकबा 0.20 हैक्टर, 24 रकबा 0.05 हैक्टर, 25 रकबा 0.16 हैक्टर, 26 रकबा 0.13 हैक्टर, 69 रकबा 0.21 हैक्टर, 324 रकबा 0.12 हैक्टर, 325 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 2.48 हैक्टर ग्राम टटवाडा के मौके पर जाकर इस भूमि में वादी नं0 1, 2, 3, प्रतिवादी नं0 1, 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 5, 6, 7 का 1/3 हिस्सा अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कर विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर दो प्रतियो में इस न्यायालय को भिजवाने हेतु नायब तहसीलदार तलावडा को रू0 500/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। नायब तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आदेशानुसार विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर इस न्यायालय को दो प्रतियो में भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

1. मिश्रीज पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. लाल्य पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. नवला पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

1. मिश्रया पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. सुल्या पुत्र पांच्या, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. रामधन पुत्र टुन्डा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
4. बद्री पुत्र टुन्डा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
5. रामस्वरूप पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
6. बाबूलाल पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
7. लक्ष्मी बेवा श्रीया, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
8. राजस्थान सरकार जरिए लैण्डहोल्डर तहसीलदार गंगापुरसिटी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 57/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्द्रलाल गुप्ता, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 15 रकबा 0.29 हैक्टर, 16 रकबा 0.32 हैक्टर, 17 रकबा 0.30 हैक्टर, 18 रकबा 0.27 हैक्टर, 19 रकबा 0.25 हैक्टर, 21 रकबा 0.20 हैक्टर, 24 रकबा 0.05 हैक्टर, 25 रकबा 0.16 हैक्टर, 26 रकबा 0.13 हैक्टर, 69 रकबा 0.21 हैक्टर, 324 रकबा 0.12 हैक्टर, 325 रकबा 0.18 हैक्टर, कुल रकबा 2.48 हैक्टर ग्राम टटवाडा के मौके पर जाकर इस भूमि में वादी नं0 1, 2, 3, प्रतिवादी नं0 1, 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 5, 6, 7 का 1/3 हिस्सा अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का मीटर्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कर विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर दो प्रतियो में इस न्यायालय को भिजवाने हेतु नायब तहसीलदार तलावडा को रू0 500/— फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। नायब तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आदेशानुसार विभाजन स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर इस न्यायालय को दो प्रतियो में भिजवावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.03.2016 को जारी किया गया ।

उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		